न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 75/2024

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पो.
1. मांगूसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत 2. चौथसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत 3. बाबूसिंह पुत्र नगसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम नाहरसिंह नगर तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर		1. अर्जुनसिंह गोदपुत्र नैनकंवर पत्नी खेतसिंह जाति राजपूत 2. राजस्थान सरकार निवासीगण ग्राम नाहरसिंह नगर तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ दिनांक 31 मार्च 2023 प्रकरण संख्या 32/2021 अर्जुनसिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि

उपस्थित–

श्री अक्षय कुमार दवे, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1

रेस्पो. संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 18 दिसम्बर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा प्रकरण संख्या 32/2021 अर्जुनसिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च 2023 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहित प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। साथ ही भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अन्य प्रार्थनापत्र अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. संख्या एक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर स्वयं को नैनकंवर पत्नी खेतसिंह द्वारा दिनांक 10 अगस्त 1967 को दत्तकग्रहण किया जाना जाहिर किया और तत्कालीन समय में ग्राम नाहरसिंह नगर स्थित आराजी खसरा संख्या 56 रकबा 312 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 126 रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 127 रकबा 51 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 128 रकबा 58 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 469 बीघा 03 बिस्वा में अपने दत्तक माता–पिता का 1/8 हिस्सा होना एवं वक्त सेटलमेण्ट उक्तानुसार अपनी दत्तक माता के नाम इन्द्राजात हो जाना जाहिर किया और यह भी कथन किया कि अपनी माता के देहान्त के बाद आवश्यक प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने पर मात्र खसरा संख्या 56 बाबत ही माता एवं तदनुसार माता के देहान्त के बाद प्रार्थी का 1/8 दर्ज होना विदित हुआ। अतैव, प्रार्थी–रेस्पो. संख्या एक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के अन्त में बकाया खसरा नम्बरान खसरा संख्या 126 रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 127 रकबा 51 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 128 रकबा 58 बीघा 16 बिस्वा बाबत प्रार्थी का 1/8 दर्ज करते हुए रिकार्ड शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मार्च 2023 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गयी और सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदारान है, जिन्हें पक्षकार संयोजित किये बिना ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होने के कारण अपील प्रस्तुत करने के मुश्तहक है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, इस

संभागीय आयुक्त

कारण विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। हाल ही में दिनांक 11 मार्च 2024 को आवश्यकता पडने पर अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्व रिकार्ड में नकल प्राप्त किये जाने पर वादग्रस्त आराजियात बाबत रेस्पो. संख्या एक अर्जुनसिंह के नाम का अंकन देखने पर पटवारी हळका से जानकारी चाही गयी, तो पटवारी हळका द्वारा अपीलाधीन आदेश के बारे में बताया गया। तदनुसार विचारण न्यायालय में दिनांक 12 मार्च 2024 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणिपत नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया और उसी दिन नकल प्राप्त होने पर विधिवत अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को जानकारी हुई। तब आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मियाद–प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जावे।

गुणावगुण पर अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि यदि राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि रह गयी हो तो संबंधित पक्षकारान की परस्पर सहमति के आधार पर उसका परिमार्जन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रावधानानुसार किया जा सकता है। किन्तु आलौच्य मामले में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि के परिमार्जन का मुद्दा नहीं है और न ही इस बाबत अपीलाण्ट्स, जो कि वादग्रस्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदारान है, की कोई सहमति प्राप्त की गयी है। वस्तुतः रिकार्ड–शुद्धि की आड में परोक्ष रूप से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मामला निहित है। प्रार्थी–रेस्पो. द्वारा न्यायालय को मुगालते में रखते हुए अपने पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त किया गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए, तथा राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजियात बाबत दर्ज रिकार्डेड खातेदारान को मामले में पक्षकार संयोजित किये बिना एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

किया कि वादग्रस्त आराजियात का वर्ष 1983 में ही कैम्प के दौरान दिनांक 04 जनवरी 1983 को विधिवत तौर पर सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर विभाजन हो चुका था और तदनुसार अपीलाण्ट्स के हिस्से में आयी भूमि बाबत रेस्पो. संख्या एक अथवा उसकी माता का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी तथ्यों को छिपाते हुए विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर रिकार्ड-शुद्धि की आड में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करने में गम्भीर भूल की गयी है।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय अर्थात संवत 2012 में रेस्पो. संख्या एक की दत्तक माता नैनकंवर खुद वादग्रस्त आराजियात की खातेदार थी, किन्तु सेटलमेण्ट की कार्यवाही में उसका नाम मात्र एक ही खसरे (खसरा संख्या 56) बाबत ही दर्ज किया गया, बकाया खसरा नम्बर 126, 127 व 128 बाबत लिपिकीय भूल से उसका नाम अंकित नहीं हो पाया। अतः राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार रही लिपिकीय भूल की जानकारी होने पर उसके परिमार्जन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करने में विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक भूल नहीं की गयी है। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत आलौच्य अपील अधिकारविहीन, मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

रेस्पो. संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात बाबत बतौर सहखातेदारन दर्ज होना

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकट होता है, मगर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण की कार्यवाही में उन्हें पक्षकार संयोजित किया जाना नहीं पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजियात से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होने से आलौच्य अपील प्रस्तुत करने के मुश्तहक पाये जाते है, अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट्स को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

चूंकि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट्स को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण की कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में कोई जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। लिहाजा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र में अंकित तथ्यों एवं इस निमित्त अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा किये गये कथनों पर विश्वास करते हुए न्यायहित में आलौच्य अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में ग्राम नाहरसिंह नगर स्थित आराजी खसरा संख्या 56 रकबा 312 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 126 रकबा 46 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 127 रकबा 51 बीघा 04 बिस्वा एवं खसरा संख्या 128 रकबा 58 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 469 बीघा 03 बिस्वा में अपने दत्तक माता–पिता (खेतसिंह एवं नैनकंवर पत्नी खेतसिंह) का 1/8 हिस्सा होना एवं वक्त सेटलमेण्ट अपनी दत्तक माता के नाम इन्द्राजात हो जाना जाहिर किया और अपनी माता के देहान्त के बाद आवश्यक प्रतिलिपियॉ प्राप्त करने पर मात्र खसरा संख्या 56 बाबत ही माता एवं तदनुसार माता के देहान्त के बाद प्रार्थी का 1/8 दर्ज होना विदित होना बताते हुए बकाया खसरा नम्बर 126, 127 व 128 के 1/8 हिस्से बाबत अपना नाम दत्तक पुत्र होने के आधार पर दर्ज करते हुए रिकार्ड–शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया। राजस्व रिकार्ड में रही किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन पक्षकारान की सहमति के आधार पर किये जाने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 36 में प्रावधान है। मगर आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात के रेकर्डेड सहखातेदारान अपीलाण्ट्स को मामले में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया और न ही रेकर्डेड सहखातेदारान की कोई सहमति प्राप्त की गयी है। इतना ही नहीं, समुचित ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह भी प्रकट नहीं किया गया है कि राजस्व रिकार्ड में कब तक वादग्रस्त आराजियात के ⅛ हिस्से बाबत नैनकंवर पत्नी खेतसिंह अथवा प्रार्थी–रेस्पो. संख्या एक का नाम दर्ज रहा और कब से नाम दर्ज नहीं हो रहा है। इन परिस्थितियों में प्रार्थी–रेस्पो. संख्या एक द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के माध्यम से मांगा गया अनुतोष रिकार्ड–शुद्धि की बजाय खातेदारी अधिकारों का घोषणा का प्रकट होता है। उल्लेखनीय है कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके अलावा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की कार्यवाही हेतु निर्धारित विधिक प्रक्रियाओं की पालना किये बिना ही पारित किया जाना प्रकट होता है।

इन समस्त परिस्थितियों, तथ्यों एवं निर्धारित विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता हैं। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 मार्च 2023 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर